

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक -01-12- 2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 34,13,400/- (चौतीस लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-08(7)ब दिनांक-15.05.17 एवं 47(7)ब दिनांक-21.08.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 34,13,400/- (चौतीस लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबधित राशि से की जायगी ।


4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002, 379(9) दिनांक-16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।



9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।


सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित केन्द्रों के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

10. यह मात्र आवंटन है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



01/12/17
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार

ज्ञापांक : 97(7)0

पटना, दिनांक : 01-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


01/12/17
सरकार के विशेष सचिव
बिहार

विवरणी-I

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20.2210061020001 के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	विधि प्रभार	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-06)	(01-07)		(13-01)	(13-05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	350000	458500	70000	6300	14000	898800	20000	5000	923800	2403/24.10.17
2	सिविल सर्जन, (छपरा)सारण	70000	91700	10000	9000	19300	200000	0	5000	205000	2206/8.11.17
3	सिविल सर्जन, रोहतास	50000	65500	10000	5800	4700	136000	0	0	136000	2523/1.11.17
4	सिविल सर्जन, खगड़िया	270000	353700	54000	8100	10800	696600	3000	0	699600	2132/4.10.17
5	सिविल सर्जन, नालन्दा	70000	91700	10000	9000	19300	200000	0	0	200000	3264/14.11.17
6	सिविल सर्जन, मुंगेर	136000	178160	27200	3400	5440	350200	0	0	350200	1931/16.11.17
7	सिविल सर्जन, भागलपुर	350000	458500	70000	6300	14000	898800	0	0	898800	3105/30.10.17
	कुल योग:-	1296000	1697760	251200	47900	87540	3380400	23000	10000	3413400	

(चौतीस लाख तेरह हजार चार सौ रू०)

97(F)A
01-12-17

20/11/2017

सरकार के विशेष सचिव
खिरीद

विवरण - II

उपबंध की स्थिति-

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	11080000	8760000	1296000	10056000	1024000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	14577000	11475600	1697760	13173360	1403640
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	3500000	2255500	251200	2506700	993300
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	206000	138000	0	138000	68000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	197000	145560	47900	193460	3540
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	440000	321100	87540	408640	31360
	योग 20-2210.06.102.0001.01 वेतन	30000000	23095760	3380400	26476160	3523840
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	100000	50000	0	50000	50000
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	300000	243000	23000	266000	34000
9	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	1100000	800000	0	800000	300000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	200000	159000	10000	169000	31000
11	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	10000	5000	0	5000	5000
12	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	200000	0	0	0	200000
13	सामग्री एवं पूर्ति (0001-21-01)	50000	50000	0	50000	0
14	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	50000	0	50000	0
15	साविदा सेवार् (0001-28-02)	300000	150000	0	150000	150000
16	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	100000	100000	0	100000	0
	कुल योग:-	32410000	24702760	3413400	28116160	4293840

(बौतीस लाख तेरह हजार चार सौ रु०)

३७(७)९

०१-१२-१७

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद

०१/१२/१७